प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.10.2026

क्राइम ब्रांच एवं साइबर क्राइम थाना गाजियाबाद द्वारा फर्जी बीमा पॉलिसी एवं Google Ads के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 07 अभियुक्त गिरफ्तार, 40 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी का अनावरण।

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्राइम ब्रांच गाजियाबाद एवं साइबर क्राइम थाना गाजियाबाद की टीम द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 07 अभियुक्तों 1. नीरज भाटी, 2. नीरज सोलंकी, 3. विक्रम सिंह 4. नितिन 5. सुशील कुमार 6. राहुल कुमार 7. विक्रांत सिंह को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 02 एटीएम/डेबिट कार्ड एवं 02 चेकबुक ,01 पासबुक ,3000 रुपये नगद बरामद हुए है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में पाया गया कि उक्त गिरोह का सरगना दीपक खन्ना उर्फ डीजे है, जो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है तथा वर्तमान में उत्तराखण्ड में रह रहा है। दीपक खन्ना उर्फ डीजे तथा राहुल की मुलाकात डासना जेल गाजियाबाद में हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद उक्त दोनों के द्वारा साइबर फ्रॉड की घटना कारित करना प्रारम्भ किया गया। राहुल और नीरज भाटी एक दूसरे से परिचित थे। राहुल के परिवार की बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान थी, जहां नीरज का आना-जाना था। नीरज भाटी, नीरज सोलंकी और विक्रांत दिल्ली स्थित बी0एम0ए0 नामक कॉल सेन्टर में काम करते थे, जहां से उन्हें बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का तरीका पता चला। उक्त कॉल सेन्टर में पुलिस की दबिश के उपरान्त ये तीनों वहां से फरार हो गये थे। राहुल के माध्यम से उक्त तीनों दीपक के सम्पर्क में आये। दीपक के मित्र विक्रम उर्फ विक्की के द्वारा साइबर फ्रॉड के लिए अकाउन्ट मैनेज किये गये। विक्रम ने सुशील और नितिन से अकाउन्ट खुलवाकर उन्हे 5 प्रतिशत कमीशन पर दीपक को उपलब्ध कराया गया।

उक्त गिरोह द्वारा बीमा पॉलिसी अपडेट एवं नवीनीकरण के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं कारित की गयी है। नीरज सोलंकी द्वारा फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर टाटा एआईजी इंश्योरेंस के नाम से फर्जी Google Ads भी तैयार किए जाते थे। इसके अतिरिक्त फेसबुक पेज भी तैयार किये गये थे। इसके अतिरिक्त दीपक उर्फ डीजे द्वारा भी डाटा उपलब्ध कराया जाता था। उक्त ads में अभियुक्तगण द्वारा गिरोह के मोबाइल नम्बर दिये जाते थे। किसी व्यक्ति द्वारा उक्त नम्बरों पर कॉल करने पर पॉलिसी नवीनीकरण में प्रीमियम पर डिस्काउन्ट का ऑफर देकर उनसे पैसे गिरोह के खातों में ट्रांसफर कराये जाते थे। इसके बाद फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से टाटा एआईजी इंश्योरेंस के फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर ई-मेल के माध्यम से भेजते थे। अभियुक्तों के मोबाइल फोन में फर्जी प्रमाणपत्र, ई-मेल एवं विज्ञापनों से संबंधित डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उक्त गिरोह में नीरज भाटी, नीरज सोलंकी और विक्रांत द्वारा लोगों से फोन पर बात की जाती थी, क्योंकि ये तीनों पूर्व में कॉल सेन्टर पर कार्य कर चुके थे।

गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ विक्की ने बताया कि वह पैसों के लालच में अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते खुलवाकर उनकी जानकारी दीपक खन्ना उर्फ डीजे को उपलब्ध कराता था, जिसके बदले उसे प्रति खाते में आने

वाली साइबर फ्रॉड की धनराशि की 5 प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता था तथा 5 प्रतिशत कमीशन खाता धारक को दिया जाता था। साइबर फ्रॉड से प्राप्त होने वाली धनराशि को खाताधारक बैंक से निकाल लेते थे और अपना कमीशन रखकर विक्रम उर्फ विक्की को दे देते थे। विक्की अपना कमीशन रखकर उक्त धनराशि दीपक उर्फ डीजे को उपलब्ध करा देता था। दीपक के द्वारा उक्त धनराशि को गिरोह के सदस्यों के बीच में बांट दी जाती थी। विक्की उर्फ विकांत द्वारा अपने खातों के अतिरिक्त सुशील व नितिन के कुल 06 खाते दीपक को उपलब्ध कराये गये थे। पूछताछ में सामने आया कि दीपक खन्ना उर्फ डीजे गिरोह के लिए मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन एवं अन्य जानकारियां उपलब्ध कराता था तथा बैंक खातों की व्यवस्था में भी करता था।

उक्त गिरोह विगत 04 माह से सक्रिय था। **एनसीआरपी पोर्टल पर अभियुक्तों के विरुद्ध केरल, झारखंड आदि राज्यों से साइबर अपराध संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ठगी की अनुमानित धनराशि लगभग 40 लाख रुपये है।** अभियुक्त नीरज भाटी के मोबाइल नंबर के संबंध में केरल से संबंधित शिकायत भी पाई गई है। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों, बैंक खातों एवं लेनदेन की जांच तथा वांछित अभियुक्त दीपक खन्ना उर्फ डीजे की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. नीरज भाटी पुत्र विजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम महेपा, थाना सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. नीरज सोलंकी पुत्र धीरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम धराऊ, थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 30 वर्ष।
3. विक्रम सिंह पुत्र लक्ष्मेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम खेमपुर, थाना गमाना, जनपद अलीगढ़, उम्र करीब 37 वर्ष।
4. नितिन पुत्र कालीचरन, निवासी मकान संख्या 510, गली संख्या 02, देवलोक कॉलोनी, शिव मंदिर के आगे, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़, उम्र करीब 40 वर्ष।
5. सुशील कुमार पुत्र भगवानदीन निवासी जीतपुर रावली रोड़ गली नं0 01 हंस कालोनी कस्वा व थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद।
6. विक्रांत सिंह पुत्र राम पटल सिंह निवासी ग्राम अश्वनिया थाना वरदहा जिला आजमगढं हाल पता से0-49 थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्ध नगर।
7. राहुल कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम फूलपुर थाना जारचा जिला गौतमबुद्ध नगर।

वांछित अभियुक्त का विवरणः-

1. दीपक कुमार खन्ना उर्फ डी0जे0 पुत्र राजेश निवासी विजयनगर जिला गाजियाबाद।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1.राहुल कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम फूलपुर थाना जारचा जिला गौतमबुद्ध नगर

- मु0अ0सं0 193/2026 धारा 3(5)/318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, गाजियाबाद
- मु0अ0सं0 1270/2017 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 43/2018 धारा 323/393 भादवि थाना कोतवाली गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 70/2018 धारा 307/394/511 भादवि थाना कोतवाली गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 214/2018 धारा 379/411 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 218/2018 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना फेज-3, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0 238/2018 धारा 307 भादवि थाना फेज-3, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0 239/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेज-3, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0 241/2018 धारा 41/411 भादवि थाना फेज-3, गौतमबुद्धनगर

2. **सुशील कुमार पुत्र भगवानदीन निवासी जीतपुर रावली रोड़ गली नं0 01 हंस कालोनी कस्वा व थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद**
    - मु0अ0सं0 193/2026 धारा 3(5)/318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, गाजियाबाद
    - मु0अ0सं0 64/2020 धारा 406/420/467/468/471 भादवि थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद।

3. **दीपक कुमार खन्ना उर्फ डी0जे0 पुत्र राजेश निवासी विजयनगर जिला गाजियाबाद।**
    - मु0अ0सं0 193/2026 धारा 3(5)/318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, गाजियाबाद
    - मु0अ0सं0 1075/2021 धारा 188/269/270 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा
    - मु0अ0सं0 873/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद

4. **नीरज सोलंकी पुत्र धीरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम धराऊ, थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 30 वर्ष**
    - मु0अ0सं0 193/2026 धारा 3(5)/318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, गाजियाबाद
    - मु0अ0सं0 91/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरणः-

1. 04 अदद मोबाइल फोन।
2. 02 अदद एटीएम/डेबिट कार्ड।
3. 02 अदद एचडीएफसी बैंक चेकबुक।
4. 01 अदद बैंक पासबुक।
5. 3000 रु नगद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

क्राइम ब्रांच, गाजियाबाद एवं थाना साइबर क्राइम

पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने एवं अपराधियों को सजा दिलाने के दृष्टिकोण से विवेचनात्मक कार्यवाही की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी होती है, इसे आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य स्तम्भ माना जाता है। इसके दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद के थानों पर पंजीकृत होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की विवेचनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त द्वारा विवेचकगण एवं पर्यवेक्षण अधिकारीगण को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:-

- विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित सिद्धांत (TIP) को अपनाया जाएगा:-
    - Transparency (पारदर्शिता)
    - Impartiality (निष्पक्षता)
    - Probity (शुचिता)

- प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की विवेचना (Investigation) के दौरान विवेचक द्वारा
  उपरोक्त सिद्धांत (TIP) के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। विवेचकों (Investigation Officers) से उपरोक्त सिद्धांत का पालन कराने का दायित्व सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी
  (Supervisory Officer) एवं सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त (DCP) का होगा।
- विवेचना के दौरान अभियुक्तों की नामजदगी बढ़ाने / लोप करने तथा धाराओं की वृद्धि/लोप करने की प्रक्रिया एवं साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली के अन्तर्गत विवेचनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त द्वारा परिपत्र भी पूर्व में जारी किए गए हैं।
- भविष्य में यदि विवेचना के दौरान उपरोक्त सिद्धांत (TIP) एवं परिपत्रों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विवेचक द्वारा नहीं किये जाने सम्बन्धी कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित विवेचक के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

वादी संवाद नीति

निष्पक्ष एवं साक्ष्य आधारित विवेचना (Investigation) पूर्ण कराने एवं विवेचना के दौरान पीड़ित/वादी के मन में उठने वाले प्रश्नों एवं आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त के निर्देश पर कमिश्नरेट के समस्त थानों पर सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को वादी संवाद दिवस का आयोजन किया जाता है। वादी संवाद दिवस के आयोजन के दौरान सम्बन्धित थानों पर विवेचनाधीन अभियोगों के वादी को थाने पर आमंत्रित किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति/वादी मुकदमा द्वारा इस दौरान विवेचक से समस्त प्रकार के प्रश्न / विवेचनात्मक कार्यवाही की प्रगति की जानकारी प्राप्त की जाती है। विवेचकों द्वारा सभ्य एवं शालीन व्यवहार रखते हुए पीड़ित व्यक्तियों के समस्त प्रश्नों / आशंकाओं का नियमानुसार उत्तर दिया जाता है तथा विवेचनात्मक प्रगति/अभियुक्तों की गिरफ्तारी की स्थिति / बी०एन०एस० एवं बी०एन०एस०एस० के प्राविधानों से भी अवगत कराया जाता है।

सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रैस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 10 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 14 मोबाइल, 4730/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद।

दिनांक 08.10.2026 की रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि किसान चौक के पास वसुंधरा सेक्टर 10 मे होटल पैराडाइज की आड़ मे भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वसुंधरा सेक्टर-10 में स्थित होटल पैराडाइज की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 10 अभियुक्तों 1.अशोक कुमार पुत्र शरत कुमार निवासी आदित्य वर्ल्ड सिटी थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष 2. आशीष पुत्र राकेश कुमार निवासी कालिंदी कुंज खुर्जा थाना खुर्जा बुलंदशहर उम्र करीब 35 वर्ष 3. तैय्यब पुत्र अतीक इलाही निवासी मोती महल थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर उम्र करीब 31 वर्ष 4. सूरज पुत्र बसंत लाल निवासी करौल बाग थाना करौल बाग नई दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष 5. हिमांशु पुत्र भोजराज निवासी मुल्तानी टांडा थाना पहाड़गंज दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष 6. अक्षय पुत्र गोविंद सिंह निवासी रामनगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष 7. कुश पुत्र सुनील कुमार निवासी सेक्टर 04 थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 37 वर्ष 8. तरूण पुत्र ओमवीर सिंह निवासी आई 505 टेंथ एवेन्यू थाना छिजारसी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 37 वर्ष 9. विक्रांत पुत्र जोगेंद्र कुमार निवासी सत्य विहार बुराड़ी दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष 10.आबिद खान पुत्र सदाकत खान निवासी मोहल्ला मल्लूपुरा थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 4730/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धारा 3/4/5 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तों द्वारा मोबाइल फोन व्हाट्सएप्प से अज्ञात व्यक्तियों को देह व्यापार के लिये महिला उपलब्ध करवाने के लिए पैसों के लेन-देन तथा महिला की फोटो भेजते हैं तथा अनैतिक कमाई करने के लालच से महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते हैं, पीड़ित महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक दैह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.अशोक कुमार पुत्र शरत कुमार निवासी आदित्य वर्ल्ड सिटी थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।

2. आशीष पुत्र राकेश कुमार निवासी कालिंदी कुंज खुर्जा थाना खुर्जा बुलंदशहर उम्र करीब 35 वर्ष।

3. तैय्यब पुत्र अतीक इलाही निवासी मोती महल थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर उम्र करीब 31 वर्ष।

4. सूरज पुत्र बसंत लाल निवासी करौल बाग थाना करौल बाग नई दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष

5. हिमांशु पुत्र भोजराज निवासी मुल्तानी टांडा थाना पहाड़गंज दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष

6. अक्षय पुत्र गोविंद सिंह निवासी रामनगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष

7. कुश पुत्र सुनील कुमार निवासी सेक्टर 04 थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 37 वर्ष।

8. तरूण पुत्र ओमवीर सिंह निवासी आई 505 टेंथ एवेन्यू थाना छिजारसी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 37 वर्ष।

9. विक्रांत पुत्र जोगेंद्र कुमार निवासी सत्य विहार बुराड़ी दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष।

10.आबिद खान पुत्र सदाकत खान निवासी मोहल्ला मल्लूपुरा थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से 14 मोबाइल, 4730/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही से घटना में प्रयुक्त फावड़े के बैंटे सहित लोहे की नुकीली मूंद बरामद।

दिनांक 08.10.2026 को वादी श्री विजय कुमार पुत्र मनवीर सिंह निवासी कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त आनन्द तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी निवासी कनावनी थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद द्वारा वादी के खाली पडे प्लॉट की चाबी माँगने को लेकर गाली गलौज करना व जान से मारने की नीयत से फावडे की नुकीली मूंद से वार करना जिससे वादी के गम्भीर चोट लग जाना तथा धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त आनन्द तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी हाल निवासी कनावनी थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम मथुरापुर थाना हसायन जनपद हाथरस उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त फावड़े के बैंटे सहित लोहे की नुकीली मूंद को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं डा0 आनन्द के मकान की चाबी मांगने के लिये विजय के घर के बाहर गया था तो विजय ने डा0 आनन्द के घर की चाबी देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विजय और मेरे बीच कहासुनी हो गयी थी मेरे हाथ में फावड़े के डंडा में लगी लोहे की मूंद लगी थी जिससे मैंने विजय के सिर पर जान से मारने की नीयत से वार किया जिसके कारण विजय के सिर मे चोट लग गयी थी और खून बहने लगा था। खून बहता देख तथा उसके परिजनों के मौके पर आने के कारण मैं वहां से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आनन्द तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी हाल निवासी कनावनी थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम मथुरापुर थाना हसायन जनपद हाथरस उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त फावड़े के बैंटे सहित लोहे की नुकीली मूंद

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 09.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले वांछित 02 अभियुक्त 1. रोहित उर्फ अजगर पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत, उम्र करीब 35 वर्ष 2. राजेश उर्फ राज पुत्र अजय उर्फ भोले निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूर्व में उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा-303(2)/317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 04.10.2026 को अभियुक्तों

के अन्य 03 साथी 1.अनुज पुत्र प्रेमराज 2. ध्रुव त्यागी पुत्र राजेश 3. दीपक उर्फ दीपेन्द्र पुत्र पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने यह मोटरसाइकिल अपने अन्य 03 साथी 1.अनुज पुत्र प्रेमराज 2. ध्रुव त्यागी पुत्र राजेश 3. दीपक उर्फ दीपेन्द्र पुत्र पुष्पेन्द्र जो जेल जा चुके है इनके साथ मिलकर मोदीनगर से चोरी की थी तथा झाडियों में छिपा दी थी। चोरी की मोटरसाइकिल को हम लोग राह चलते लोगों को बेच देते हैं और पैसों को आपस में बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रोहित उर्फ अजगर पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. राजेश उर्फ राज पुत्र अजय उर्फ भोले निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग व अन्य चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। इससे पूर्व अभियुक्त रोहित उर्फ अजगर के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी के 02 अभियोग, जनपद बागपत में 01 चोरी से संबंधित व 01 हत्या के प्रयास से संबंधित अभियोग पंजीकृत है व राजेश उर्फ राज के विरुद्ध पूर्व में थाना मुरादनगर पर चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.10.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त राजा पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम शामली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र-21 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ होटल में ले जाकर उसके साथ मारपीट कर गलत काम कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 64(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.10.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजा पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम शामली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र-21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस का लोप कर धारा 65(1)/115(2) बीएऩएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी वादी की पुत्री के साथ जान पहचान थी तथा फोन पर बातचीत होती थी। मैंने वादी की पुत्री को स्कूल छोड़ने के बहाने अपने साथ कार में बैठा लिया था तथा बहला-फुसलाकर होटल ले गया और उसके साथ मारपीट कर गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजा पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम शामली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र-21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करनेवाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये तार व चोरी से सम्बन्धित 3420 रु नगद बरामद।

दिनांक 14.08.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा उनके वैशाली कॉलोनी, मोदीनगर स्थित निर्माणधीन मकान से बिजली के तार को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 08.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त शेर सिंह उर्फ अजय पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम विद्यापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये गये तार व चोरी से संबंधित 3420 रु बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह तार मैंने गोविन्दपुरी वैशाली निकट एक मकान से चोरी की है, कुछ तार मैंने पहले जलाकर तार निकाल कर फेरी करने वाले कबाडी को बेच दिया था, जिससे मुझे 6000 रूपये प्राप्त हुये थे जिसमें से कुछ पैसें मैंनें अपने शौक पूरा करने में खर्च कर दिये। जो मेरे पास से 3420 रूपये बरामद हुये है यह पैसे उन्ही 6000 रूपये में से है। आज मैं बचे हुये तारो को बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

शेर सिंह उर्फ अजय पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम विद्यापुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी किये गये तार व चोरी से सम्बन्धित 3420 रु बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से ए0सी0 के कॉपर के पाइप के टुकडे बरामद।

दिनांक 17.09.2026 को वादी श्री सुरेंद्र कुमार एडवोकेट अध्यक्ष/चेयरमैन डी0एम0 चैम्बर्स निगरानी एवं मेंटेनेंस कमेटी न्यू बिल्डिंग सिविल कोर्ट कंपाउंड राजनगर गाजियाबाद द्वारा अज्ञात चोर द्वारा उनके चैम्बर नं0 22 में लगे ए0सी0 की कॉपर वायर/तार को काटकर चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी गई। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 08.10.2026 को अभियुक्त- दिव्यांश पुत्र अजीत कुमार नि0 पुराना बस अड्डे के पास पटेल नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को बिजली घर के सामने चौकी क्षेत्र कचहरी से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त से बरामद ए0सी0 के कॉपर के पाइप के टुकडे के सम्बंध में पूछताछ की गई तो बताया कि वह पिछले कई दिनों से रात्रि में कचहरी परिसर में लगी ए0सी0 के कॉपर के पाइप को तोडकर चोरी कर रहा था आज सभी टुकडो को इकट्ठा करके बेचने के लिए जाने वाला ही था कि पुलिस द्वारा पहले ही पकड लिया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

दिव्यांश पुत्र अजीत कुमार नि0 पुराना बस अड्डे के पास पटेल नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी

01 अदद कट्टा प्लास्टिक जिसमें ए0सी0 के कॉपर के पाइप के टुकडे।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम